<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2019/00042

अनवान

1. श्री प्रताप पिता नवला पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबूलाल पिता मोहनलाल पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री मगनीराम पिता मोहनलाल पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री बंशीलाल पिता मोहनलाल पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लक्ष्मी बाई पिता मोहनलाल पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री गिरजाशंकर मेहता, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री बजरंग प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** *निर्णय* ***

दिनांक 31-08-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 3296 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि के रकबा 0.0150 हेक्टेयर पर प्रार्थी का विगत कई वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी सन् 1990 के दशक से उक्त आराजी पर नाजायज कब्जे की पेनाल्टी भी जमा कराता रहा हैं। उक्त आराजी के मात्र 0.0150 हेक्टेयर पर श्री मोहनलाल पिता पृथ्वीराज ब्राह्मण का कब्जा होने के बावजूद उक्त आराजी का सम्पूर्ण रकबा विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी श्री मोहनलाल पिता पृथ्वीराज ब्राह्मण के नाम पर आवंटित कर दिया गया हैं, जबकि उक्त आराजी के आधे हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं। विपक्षीगण को इस तथ्य की भली भांति जानकारी होने के बावजूद उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे को अपने नाम पर आवंटित करवाया हैं। उक्त प्रकरण मे मौके की जानकारी किये बिना एवं कब्जा सुपुर्द किये बिना ही का आवंटन किया गया है एवं उक्त आवंटन मे आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा होकर भारी लागत लगाकर भूमि को काश्त योग्य बनाया है। उक्त आवंटन को निरस्त न करने पर प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:20 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कथित आवंटन को खारिज किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री बजरंग प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब पेश किया कि मौजा सेमटाल, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 3296 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नही रहा हैं। उक्त भूमि पर विपक्षीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण के पिता श्री मोहनलाल के नाम पर किया गया हैं। इस प्रकार उक्त भूमि पर विपक्षीगण के पिता का कब्जा होने से ही कथित भूमि का आवंटन उनके पिता को किया गया है एवं उनके स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त भूमि नियमानुसार विरासत से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हुई हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त जमीन का आवंटन कराने से पूर्व समस्त तथ्य की जानकारी कर एवं आवंटन नियमों की शर्ता के अनुरूप ही भूमि विपक्षीगण के पिता के नाम पर दर्ज की हैं। कथित आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रारंभ से थी। प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाकर उक्त आवंटन को यथावत रखा जावें।

प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1100 दिनांक 21.11.2019 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा सेमटाल, तहसील गोगुन्दा की जमाबंदी संवत् 2071–2074 पर अंकित खसरा संख्या 3296 रकबा 0.0300 हेक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षीगण बाबूलाल, मगनीराम, बंशीलाल लक्ष्मीबाई पिता मोहनलाल के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं। मौके पर उक्त आराजी पड़त होकर मौतबिरान ने चारे के रूप मे उपयोग मे आना बताया। प्रार्थी प्रतापलाल एवं विपक्षीगण मे से उपस्थित बाबूलाल ने जाहिर किया कि आराजी संख्या 3296 मे दोनो पक्ष आधे आधे भाग पर कई वर्षो से कटाई का कार्य कर रहे हैं। प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 409/1999 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण के पिता को आवंटित आराजीयात मे से आराजी संख्या 3296 रकबा 0.0300 भूमि के आधे भाग पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, प्रार्थी द्वारा वर्ष 1990 से धारा 91 की पेनाल्टी जमा कराना, आंवटन कमेटी द्वारा मौके की जानकारी किये बिना आवंटन किया जाना एवं कब्जा सुपुर्द न करना, आवंटन शर्तो की पालना न करना आदि आधारों पर विपक्षीगण के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की मांग तथा अनुरोध किया कि कथित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:20 IST
Reason: SelfAttested

के आधे भाग अर्थात 0.0150 हेक्टेयर पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होने से विपक्षीगण के पिता के पक्ष मे किये गये 0.0300 हेक्टेयर मे से 0.0150 हेक्टेयर तक कथित आवंटन निरस्त किया जावें।

विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षीगण के पिता का कथित आराजीयात पर पुराना कब्जा होना, आवंटन मे आंवटन कोरम पूर्ण होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि मामले में प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं अतिक्रमी की हैसियत से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। कब्जे के संबंध मे प्रार्थी को सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद करना चाहिये। विपक्षीगण के पास 1991 की पेनाल्टी की रसीदे उपलब्ध है। तहसीलदार गोगुन्दा की मौका रिपोर्ट मे विपक्षी संख्या 1 श्री बाबूलाल के हस्ताक्षर फर्जी हैं। उक्त आवंटन के दिवस ही प्रार्थी को भी भूमि का आवटंन हुआ है, जिससे कथित आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रारंभ से होना स्पष्ट है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में नही बताया है। ऐसी स्थिति मे मयाद के बिन्दु पर भी उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 409/1999 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण के पिता श्री मोहनलाल पिता पृथ्वीराज ब्राह्मण द्वारा मौजा सेमटाल, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 3296 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, 3423 रकबा 0.0150 हेक्टेयर, 3424 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 3427 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, 3428 रकबा 0.1700 हेक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.2850 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण के पिता श्री मोहनलाल के पक्ष मे किया गया है। प्रकरण मे विवाद उक्त आराजीयात मे से आराजी नंबर 3296 रकबा 0.0300 हेक्टेयर का है, जिसमे प्रार्थी पक्ष 0.0150 हेक्टेयर पर स्वयं का कब्जा बता रहा है। विपक्षीगण के पिता के पक्ष मे आवंटन पत्रावली संख्या 409/1999 से किये गये आवंटन मे आवंटन पत्रावली के कोरम पर तहसीलदार, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मे आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को विवाद रहित होना दर्शाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वयं प्रस्तु[illegible]ला कलक्टर, गिर्वा के आदेश क्रंमाक प.4(8)राज/बी/आवं/99/2216—17 दिनांक 29.06.1[illegible] की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त तिथि को प्रार्थी को भी भूमि का आवंटन हुआ हैं, जिसका इन्द्राज उक्त आदेश के

क्र.स. 21 पर अंकित हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन की जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु आवेदन पेश किया जाने का कथन किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उप जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश क्रमाक प.4(8)राज/बी/आवं/99/2216–17 दिनांक 29.06.1999 द्वारा आवंटन के संबंध मे जारी सूची मे प्रार्थी का नाम एवं विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी दोनो का नाम अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रारंभ से थी एवं उसके द्वारा जानबुझकर विलम्ब से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण मे यद्यपि यह तथ्य सही है कि धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस प्रार्थी द्वारा पेश किये गये है, पत्रावली पर मौजुद है, किन्तु अतिक्रमी की हैसियत से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। यदि आवंटन से पूर्व प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा था, तो उसके द्वारा कभी उक्त भूमि के आवंटन के पूर्व आवेदन किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजुद नहीं हैं। आवंटन के लगभग 20 वर्ष उपरान्त बिना किसी समुचित कारण को दर्शाये प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं एवं विलम्ब की अवधि को कण्ड़ोन किये जाने बाबत् कोई प्रार्थना भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से मयाद के बिन्दु पर भी उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान मे अतिक्रमी के कब्जे मे भूमि होने से न तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है एवं न ही प्रार्थी अनुतोष का पात्र हैं जैसा कि आर.आर.टी. 2010(1)पृष्ठ 157–161 मे स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। प्रकरण मे प्रस्तुत खसरा गिरदावरी भी हाल वर्षो की हैं न कि आवंटन के तत्काल पश्चातवर्ती वर्षो की है, जिससे आवंटन के तुरन्त पश्चातवर्ती वर्षो मे आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जाने अथवा न किये जाने का तथ्य स्पष्ट नहीं है एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रकरण मे प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने का दायित्व स्वयं प्रार्थी का हैं। आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा सेमटाल, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 3296 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, 3423 रकबा 0.0150 हेक्टेयर, 3424 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 3427 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, 3428 रकबा 0.1700 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:20 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर